Regarding determination of creamy layer in respect of Class III and IV OBC employees-Laid

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : मैं सरकार के समक्ष ओबीसी आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित गंभीर मुद्दे उठाना चाहता हूं:- 2014 से यूपीएससी द्वारा चयनित ओबीसी युवाओं को नियुक्ति नहीं दी जा रही है । 1993 के आदेश के अनुसार वेतन और कृषि आय को क्रीमी लेयर निर्धारण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए । लेकिन सरकार द्वारा क्रीमी लेयर में वेतन जोड़ने की वजह से ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्तियों में बाधा उत्पन्न हो रही है । 2004 में गलत व्याख्या के कारण वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है । दिल्ली, मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों ने डीओपीटी की व्याख्या को भेदभावपूर्ण माना है । यह स्पष्ट है कि सरकार ने इस मुद्दे को जटिल बना दिया है । वर्तमान सरकार की नीतियां ओबीसी समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण हैं, जिससे ओबीसी समुदाय सरकारी नौकरियों से वंचित हो रहा है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने 1993 के आदेश में संशोधन किया है? यदि हाँ, तो कब और क्यों? यदि बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों और विद्यालयों के प्रमाणपत्र 2004 से पहले वैध थे, तो अब क्यों नहीं? क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए ग्रुप सी/डी प्रमाणपत्रों को मान्यता देने में हिचकिचा रही है?